समाचार सार

रिम्स में 53 पदों पर होगी संविदा पर नियुक्ति

जासं, रांची : रिम्स में स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को मजबूत करने के लिए 53 पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 31 अगस्त को वाक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा संचालन प्रबंधक पद के लिए एक, फ्लोर समन्वयक के लिए 12 और आरोग्य मित्र के 40 पद शामिल हैं। सभी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर होंगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी। साक्षात्कार के दौरान मूल प्रमाण-पत्र भी सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रांची स्टेशन पर 48 केन बीयर के साथ दो गिरफ्तार

जासं, रांची : शराब की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान दो युवकों को 48 केन बीयर के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से 24 लीटर बीयर बरामद की गई। आरपीएफ पोस्ट रांची और फ्लाइंग टीम की ओर से स्टेशन परिसर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान दो युवकों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। गिरफ्तार युवकों की पहचान गुलशन कुमार (26) व नवीन कुमार (21) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 24-24 कैन बीयर बरामद हुई। शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज दोनों के पास नहीं था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे रांची से बीयर खरीदकर बिहार ले जा रहे थे।

हातमा टंगरा टोली से 15 वर्षीय किशोर लापता

जागरण संवाददाता, रांची : गोंदा थाना क्षेत्र के हातमा टंगरा टोली से 15 वर्षीय किशोर सत्यम कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। उसकी चाची प्रभा देवी ने गोंदा थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस किशोर की तलाश में जुटी है। लातेहार जिले के कुंदरी गांव निवासी सुबोध सिंह का बेटा सत्यम कुमार करीब चार दिन पहले अपनी चाची के घर हातमा आया था। 25 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। स्वजन ने अपने स्तर से आसपास के इलाकों और संभावित ठिकानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन सुराग नहीं मिला।

बिरयानी दुकान में आग, पुलिस की तत्परता से टला हादसा

जागरण संवाददाता, रांची : लोअर बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक बिरयानी दुकान में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दुकान से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही लोअर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अर बाजार थाना प्रभारी लव कुश कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया।

छात्र को चाकू दिखाकर छीन लिया मोबाइल फोन

जागरण संवाददाता, रांची : लालपुर थाना क्षेत्र में न्यूक्लियस माल के पीछे तड़के करीब 3:50 बजे अपराधियों ने छात्र मनीष कुमार दास को घेरकर मारपीट की और मोबाइल फोन छीन लिया। मूल रूप से गिरिडीह निवासी मनीष वर्तमान में मां राम प्यारी अस्पताल के पास शंकर यादव लाज में रहकर पढ़ाई करता है और बर्गर किंग में काम करता है। वह ड्यूटी खत्म कर लाज लौट रहा था। दो स्कूटी पर सवार चार अज्ञात अपराधियों ने घेर लिया। मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद चाकू दिखाकर डराया और उसके मोबाइल से जबरन यूपीआइ के माध्यम से 500 रुपये अपने खाते में स्थानांतरित करा लिए।

बीमा प्रीमियम के नाम पर दो लाख रुपये की ठगी

जासं रांची : न्यू पीपर टोली निवासी एजुब मिंज से साइबर अपराधी ने दो लाख रुपये की ठगी कर ली। 16 अगस्त को फोन पर संपर्क करने वाले ने कहा कि प्रीमियम न जमा करने पर पालिसी निष्क्रिय हो जाएगी। एजुब ने एक रुपये का भुगतान करते ही अपना मोबाइल हैक होते देखा। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उनके खाते से रकम निकाल ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेवानिवृत्ति पेंशन का झांसा देकर 5.56 लाख की ठगी

जागरण, संवाददाता, रांची : हेहल के देवी मंडप रोड निवासी बिजेंद्र कुमार साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर अपराधी ने खुद को बैंक का अधिकारी बताकर सेवानिवृत्ति पेंशन कार्ड दिलाने का झांसा दिया और खाते की जानकारी हासिल कर 5.56 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली। बिजेंद्र ने 21 अगस्त को फोन पर जानकारी दी थी। निकासी की जानकारी मिलने पर उन्होंने साइबर अपराध थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक सितंबर से चलेगी हटिया-बानो अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

जासं, रांची : यात्रियों की सुविधा के लिए हटिया-बानो-हटिया के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन संख्या 08631/08632 का परिचालन एक सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। ट्रेन के 91-91 फेरे होंगे। ट्रेन संख्या 08631 हटिया-बानो स्पेशल हटिया से सुबह 9:15 बजे रवाना होगी। वहीं, 08632 बानो-हटिया अनारक्षित स्पेशल बानो से शाम 4:30 बजे रवाना होगी।

गोंदा थाना प्रभारी को गुमशुदगी के संबंध में दिया आवेदन

जागरण संवाददाता, रांची : शहर के गोंदा थाना अंतर्गत हातमा टंगरा टोली निवासी दिलवोम्बर सिंह ने गोंदा थाना के प्रभारी को आवेदन देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि प्रभा देवी 25 अगस्त को सुबह करीब नौ बजे घर से काम करने के लिए चली गई थी। उन्होंने कहा कि इसी दौरान उनका भाई का लड़का सत्यम कुमार उम्र 15 वर्ष, पिता सुबोध सिंह, पता ग्राम कुन्दरी थाना और जिला लातेहार का रहने वाला चार दिन पहले मेरे घर हातमा में रह रहा था। वह विगत 25 अगस्त को समय करीब 10 बजे दिन को बिना बताए मेरे घर से कहीं चला गया है।

इवेंट मैनेजर के घर आधी रात लूटपाट, 20 हजार ले गए

जासं, रांची : सदर थाना क्षेत्र के जय प्रकाश नगर में रात दो बजे आठ से 10 बदमाशों ने इवेंट मैनेजर रमा सिन्हा के घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी की। ताला तोड़कर प्रवेश किया और गाली-गलौज करते हुए रमा का गला दबाया। उनकी सहेली मुस्कान खातून ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपितों ने उसे भी पीटा। बदमाश 20 हजार रुपये और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

बिजली बिल वापस कराने का झांसा दे उड़ाए 2.72 लाख

जासं, रांची : जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के धुर्वा सेक्टर-टू निवासी 55 वर्षीय मनीष केशरी साइबर ठगी के शिकार हो गए। अपराधियों ने बिजली बिल का भुगतान वापस कराने का झांसा देकर उनके बैंक खाते से 2,72,810 रुपये निकाल लिए। पीड़ित के अनुसार, 15 अगस्त की शाम उनके मोबाइल पर विनय कुमार नामक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि बिजली बिल का 8,500 रुपये का भुगतान समायोजित नहीं हुआ है। मनीष के मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराई। इसके बाद मनीष के खाते से 2,72,810 रुपये निकाल लिए गए। ठगी के दौरान दोनों मोबाइल बंद हो गए।

महिला के खाते से 8.27 लाख रुपये की साइबर ठगी

जागरण संवाददाता, रांची : हटिया निवासी नीलम कुमारी को वाशिंग मशीन का कस्टमर केयर नंबर आनलाइन तलाशना महंगा पड़ा। साइबर अपराधियों ने उनके बैंक खाते से 8.27 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 29 जुलाई को नीलम ने गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजा। फोन करने पर शिकायत के लिए 10 रुपये का भुगतान करने को कहा गया। अगले दिन एक व्यक्ति ने तकनीशियन बनकर संपर्क किया। इसके बाद राशि निकल गई।

नेपाल में लापता राम प्रसाद घोष को खोजेगी सेना

जागरण संवाददाता, रांची : नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद से लापता रांची के राम प्रसाद घोष की तलाश के लिए नेपाली सेना ने मदद का आश्वासन दिया है। अपर बाजार के व्यवसायी ज्योति कुमार ने बताया कि परिवार की ओर से 27 अगस्त को नेपाली सेना के विदेशी संपर्क प्रभाग को ईमेल भेजकर राम प्रसाद को खोजने का आग्रह किया गया था। ईमेल में राम प्रसाद के नाम, रांची के पते, भारतीय नागरिक होने, रक्त समूह और पहचान पत्र से संबंधित जानकारी दी गई थी। नेपाली अधिकारियों से यह पता लगाने का अनुरोध किया गया था। ज्योति कुमार के अनुसार, दोपहर करीब 1:59 बजे भेजे गए ईमेल का जवाब उसी दिन शाम करीब 5:36 बजे काठमांडू स्थित नेपाली सेना मुख्यालय के विदेशी संपर्क प्रभाग की ओर से दिया गया। जवाब में नेपाली सेना ने राम प्रसाद को खोजने की पूरी कोशिश करने का आश्वासन दिया है।

रामप्रसाद घोष का फाइल फोटो

काठमांडू में एक परियोजना में थे कार्यरत

जागरण संवाददाता, रांची : नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच रांची के कोकर हैदर अली रोड निवासी 41 वर्षीय रामप्रसाद घोष के लापता हैं। वे काठमांडू में एक निजी कंपनी की जलविद्युत परियोजना में काम करते हैं। करीब दो महीने काठमांडू गए थे। उनके साथ करीब 200 भारतीय कर्मचारी एक शिविर में रह रहे थे। घटना स्थल भटार मुख्य बाजार के पास बताया जा रहा है, जहां कंपनी की परियोजना चल रही थी। बाढ़ में परियोजना का शिविर बह जाने की जानकारी मिली है। स्वजन के अनुसार, मंगलवार रात रामप्रसाद की परिवार से फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे उन्होंने संदेश भेजा था। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद है और परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल में बाढ़ की खबर मिलने के बाद स्वजन की चिंता और बढ़ गई है।

निखार सबलोक हत्याकांड में रांची कनेक्शन, मेसरा में कार छोड़कर शूटर के फरार होने की आशंका

बिना नंबर की हुंडई आइ-10 कार बरामद, सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखे

जागरण संवाददाता, रांची : जमशेदपुर के कारोबारी निखार सबलोक की हत्या के मामले में रांची कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। 24 अगस्त को सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल में गोली मारकर की गई हत्या के बाद फरार हुए संदिग्ध शूटर के रांची के मेसरा पहुंचने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, मेसरा क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट की हुंडई आइ-10 कार छोड़कर संदिग्ध फरार हो गया। सरायकेला पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से कार बरामद कर ली है। चांडिल थाने की पुलिस कार को अपने साथ ले गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में दो संदिग्धों के दिखाई देने की भी बात सामने आई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्याकांड में अखिलेश सिंह गिरोह से जुड़े अपराधियों की संलिप्तता की आशंका है। हालांकि पुलिस इस पहलू समेत हत्या के पीछे के अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी कार से रांची की ओर पहुंचे थे। मेसरा क्षेत्र में बिना नंबर की आई-10 कार छोड़ने के बाद वे फरार हो गए। कार बरामद होने के बाद पुलिस उसके मालिक और उपयोग से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कार अपराधियों तक कैसे पहुंची और हत्या के बाद रांची आने का मकसद क्या था।

होटल कारोबारी निखार सबलोक का फाइल फोटो

एक सप्ताह पहले रची गई थी साजिश
प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि निखार सबलोक की हत्या अचानक नहीं की गई थी। करीब एक सप्ताह पहले चांडिल क्षेत्र में हत्या की साजिश तैयार किए जाने की बात सामने आई है। वारदात को अंजाम देने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से पेशेवर शूटर बुलाए जाने की आशंका है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

होटल में तीन दिन तक रखी गई नजर
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराधियों ने होटल टेंथ माइल स्टोन में करीब तीन दिनों तक निखार सबलोक की गतिविधियों पर नजर रखी थी। मौका देखकर होटल परिसर में ही हत्या कर दी गई। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रेकी करने वालों को किसने निर्देश दिया था।

अलग-अलग टीमों ने की थी रेकी : जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात के लिए अपराधियों ने अलग-अलग टीम बनाई थी। एक टीम निखार की गतिविधियों व आवाजाही पर नजर रख रही थी, जबकि दूसरी टीम को हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी।

बिहार और बंगाल में भी छापेमारी : सरायकेला और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त टीमें हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। सुराग के आधार पर झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल में भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल काल विवरण व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कड़ियां जोड़ रही है। हत्या के पीछे व्यावसायिक रंजिश, संपत्ति विवाद समेत कई पहलुओं की जांच कर रही है।

तीन लाख के ऋण का झांसा दे खाते से उड़ा लिए 61 हजार

जागरण संवाददाता, रांची : प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आधार कार्ड पर हर व्यक्ति को तीन लाख रुपये का ऋण देने का दावा फर्जी है। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने ऐसे दावों को फर्जी बताते हुए लोगों को सावधान किया है। इसके बावजूद साइबर अपराधी सक्रिय हैं और लोगों को ऋण दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। रांची में भी छोटे-मोटे कारोबार करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर अपराधी आधार कार्ड पर ऋण दिलाने का दावा करते हुए लोगों को संदेश के माध्यम से फर्जी लिंक भेज रहे हैं। लिंक खोलते ही लोग ठगी का शिकार हो जा रहे हैं और उनके बैंक खाते से कुछ ही समय में रकम गायब हो रही है। रातू के एक सब्जी व्यवसायी को किसी व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री ऋण योजना के तहत आधार कार्ड पर तीन लाख रुपये का ऋण मिल रहा है। व्यवसायी के मोबाइल पर संदेश के माध्यम से एक लिंक भेजा गया। तीन लाख रुपये का ऋण मिलने की उम्मीद में व्यवसायी ने लिंक खोल दिया।

लिंक खोलने के कुछ ही देर बाद उसके बैंक खाते से 61 हजार रुपये की अवैध निकासी हो गई। खाते से रकम निकलने का संदेश मिलने पर व्यवसायी को ठगी का पता चला। उसने लिंक भेजने वाले मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन नंबर बंद मिला। पीड़ित सब्जी व्यवसायी आटो से अलग-अलग बाजारों में सब्जी ले जाकर बेचता है। साइबर अपराधियों द्वारा ऐसे छोटे कारोबारियों को आसान ऋण का लालच देकर निशाना बनाया जा रहा है।

आरपीएफ ने रुपये से भरा बैग सुरक्षित लौटाया

जागरण संवाददाता, रांची : रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट गोबिंदपुर ने आपरेशन अमानत के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रेन संख्या 18175 मेमू में छूटा महिला यात्री का काला लैपटाप बैग सुरक्षित बरामद कर लिया। आरपीएफ कर्मियों के सहयोग से बैग पोकला स्टेशन पर बरामद किया गया। बैग में 63 हजार रुपये नकद समेत लैपटाप और अन्य सामान रखा था। सभी सामान का कुल मूल्य करीब 75 हजार रुपये बताया गया है।

महिला यात्री का बैग ट्रेन में छूटने की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ आउट पोस्ट गोबिंदपुर ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।

उपेंद्र मिश्रा हत्याकांड में सीसीटीवी व काल विवरण से सुराग तलाश

जागरण संवाददाता, रांची : राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में उपेंद्र मिश्रा की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मृतक के मोबाइल के काल विवरण के आधार पर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वारदात से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों और उस मार्ग से गुजरने वाले कई लोगों से पूछताछ की है। पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए आपसी रंजिश, लूटपाट और अन्य विवादों पर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों की पहचान और हत्या के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए छापेमारी और पूछताछ लगातार जारी है।

बाइक ने महिला को मारी टक्कर, पैर टूटा

जासं, रांची : लालपुर थाना क्षेत्र के अप्सरा होटल के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से लोहरा कोचा निवासी संगीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। वह काम निपटाकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान तेज गति में आ रही बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि की।

RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

TENDER TIME EXTENSION NOTICE

It is hereby informed to all concerned bidders that the tender notice published in daily newspaper on dated 20.08.2026 for Printing of Souvenir, Speech Booklet & Invitation Cards for 39th Convocation 2026 vide letter No. PL/775-79/26 dated 19.08.2026 is hereby extended with regard to the last date for submission of bids.

The last date of submission of bids is extended upto 31.08.2026 at 12.00 Noon.

The other terms and conditions of the tender shall remain unchanged.

By order of the Vice Chancellor
Sd/- Registrar
Ranchi University, Ranchi

Memo No. PL/ 7791/28, Dated 27.08.2026

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, हजारीबाग शाखाः
कालीबाड़ी रोड, हजारीबाग – 825301, झारखण्ड

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति/यों के लिए)

(परिशिष्ट IV के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित)

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वित्तीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अन्तर्गत एवं उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, जो कि **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने **ऋणी : श्री रामचन्द्र मेहता, पुत्र स्व० श्री शम्भु महतो** को बकाया राशि **रु. 16,96,926.20/- + अप्रायोजित ब्याज एवं अन्य शुल्क (रूपये सोलह लाख छियानबे हजार नौ सौ छब्बीस एवं पैसे बीस मात्र) दिनांक 31.01.2022 तक** तत्पश्चात् अनुबंधकीय आधार पर ब्याज एवं लागत, शुल्क और अन्य खर्चे सहित भुगतान की तिथि तक देय सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए डिमांड नोटिस **दिनांक 02.11.2022** को भेजी गयी थी।

ऋणकर्ता ने तदनुसार ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है। अत: एतद् द्वारा, विशेष कर ऋणी तथा सामान्य रूप से सभी लोगों को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उपर वर्णित अधिनियम की उप-धारा (4) की धारा 13 सपठित नियम 8 के प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने **दिनांक 25 अगस्त 2026** को कब्जे में ले लिया है।

ऋणकर्ता / जमानतदार / बंधककर्त्ता को विशेष रूप से तथा आम लोगों को सामान्य रूप से आगाह किया जाता है कि इन सम्पत्तियों का कोई सौदा न करें। उक्त सम्पत्तियों के संबंध में किसी प्रकार के लेन-देन करने पर बकाया राशि **रु. 14,76,451.49/-+ अप्रायोजित ब्याज एवं अन्य शुल्क (रूपये चौदह लाख छिहत्तर हजार चार सौ इक्यावन एवं पैसे उनचास मात्र)** एवं अनुबंधकीय आधार पर ब्याज एवं लागत, शुल्क और अन्य खर्चे सहित भुगतान की तिथि तक देय **बैंक ऑफ बड़ौदा** के देयत्ताओं के अधीन होगा। **ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो प्रतिभूत सम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में है।**

अचल सम्पत्तियों का विवरण

साम्यिक बंधक के रूप में मौजा – बोंगा, परगना – चंपा, थाना – इचाक, थाना संख्या 37, खाता संख्या 160, प्लॉट संख्या 2351, जिला – हजारीबाग, झारखंड में स्थित 12 डिसिमल भूमि तथा उस पर निर्मित भवन जो श्री राम चन्द्र मेहता, पिता – स्वर्गीय शंभू महतो के नाम पर है। उक्त संपत्ति का सेल डीड संख्या 12329/12185, दिनांक 20.11.2009 है। **चौहद्दी : उत्तर दिशा में** – दहन महतो की जमीन, **दक्षिण दिशा में** – मुदील महतो की जमीन, **पूरब दिशा में** – भिखन महतो की जमीन, **पश्चिम दिशा में** – लेख्यकारी की स्वंय जमीन.

दिनांक : 25.08.2026
स्थान : हजारीबाग
नोटः त्रुटि / विवाद की स्थिति में अंग्रजी पाठ्य मान्य होगा।
ह०/– प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक शाखाः
हिनू, राँची, झारखण्ड – 834002
अनुबंध-सी

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ''अनुबंध-IV-ए (अधिनियम 6 (2) एवं 8 (6) के प्रावधान देखें)

सिक्युरिटी इंटेरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत 6 (2) एवं 8 (6) की धारा के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूमिकरण और पूर्णगठन एवं सिक्युरिटी इंटेरेस्ट अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों को तथा विशेष रूप से भाग लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित प्रतिभूति के पास गिरवी है उसका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित प्रतिभूति, द्वारा ले लिया गया है, उसे अधोवर्णित खाताओं की वसूली हेतु **''जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ है के आधार पर''** बेचा जायेगा। ऋणी / यों / बंधककर्त्ता/ओं / जमानतदार/रों / सुरक्षित सम्पत्ति/याँ / बकायों / सुरक्षित मूल्य /ई-नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली बृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	यदि कोई ज्ञात बाधा हो तो उसके विवरण सहित अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	यदि कोई ज्ञात बाधा हो तो उसके विवरण सहित चल / अचल सम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	कुल बकाया / ई-नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा / बोली बृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख और समय
1.	आवदेक: **श्री गुरप्रीत सिंह सलुजा सुपुत्र श्री चरणजीत सिंह** C/o बोल्ला साहु, अमन जीन्स सेंटर, होल्डिंग संख्या 974, अपर चुटिया, पावर हाउस के समीप, हनुमान मंदिर के समीप, राँची जी.पी.ओ., राँची–834001 सह-आवदेक: **श्री अमन प्रीत सिंह, सुपुत्र श्री चरणजीत सिंह,** C/o बोल्ला साहु, अमन जीन्स सेंटर, होल्डिंग संख्या 974, अपर चुटिया, पावर हाउस के समीप, हनुमान मंदिर के समीप, राँची जी.पी.ओ., राँची–834001 सह-आवदेक: **श्रीमती रंजीत कौर सलुजा, पत्नी श्री चरणजीत सिंह,** C/o बोल्ला साहु, अमन जीन्स सेंटर, होल्डिंग संख्या 974, अपर चुटिया, पावर हाउस के समीप, हनुमान मंदिर के समीप, राँची जी.पी.ओ., राँची–834001 जमानतदार: **श्री अमरजीत सिंह, सुपुत्र श्री महेन्द्र सिंह,** राजधानी अपार्टमेंट, फ्लैट संख्या ए2, रातु रोड, पिस्का मोड़ (निलांचल कोठी कम्पाउंड) गुरुद्वारा के समीप, हेहल, राँची – 834005	अचल संपति जिसका सभी अंश एवं भाग जिसका फ्लैट संख्या ए 301, तृतीय तल पर, कारपेट एरिया 1121 वर्गफुट तथा सुपर बिल्ट-अप एरिया 1690 वर्गफुट, तथा भवन के बेसमेंट में एक कार पार्किंग स्थान, जो ''फुलचंद गार्डेनिया'' नामक भवन के ब्लॉक-ए में स्थित है जिसका खाता संख्या 90, प्लॉट संख्या 644, 645 एवं 646, ग्राम – सिरोम, थाना – चुटिया, थाना संख्या 210, जिला – रांची, होल्डिंग संख्या 960/ए, नया होल्डिंग संख्या 0140001878000ए2, वार्ड संख्या 14, रांची नगर निगम, रांची में स्थित है जो श्रीमती रंजीत कौर सलुजा, पत्नी श्री चरनजीत सिंह के नाम पर दर्ज है। **जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है: उत्तर** – खुला आकाश, **दक्षिण** – खुला आकाश, **पूरब** – खुला आकाश, **पश्चिम** – फ्लैट संख्या ए-302 एवं लॉबी।	**Rs. 52,34,447.76/-** (रूपये बावन लाख चौंतीस हजार चार सौ सैंतालीस एवं पैसे छिहत्तर मात्र) + ब्याज एवं शुल्क दिनांक 30.09.2025 से **दिनांक 18.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 72,25,000.00 Rs. 7,23,000.00 Rs. 10,000.00	प्रतिकात्मक कब्जा 16.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं **https://baanknet.com** पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल सं **7542032144** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 27.08.2026, स्थान : राँची | नोटः विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा। | ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक शाखाः
हिनू, रांची, झारखण्ड – 834002
अनुबंध-13

संक्षिप्त वाहन ई-नीलामी सूचना

सार्वजनिक रूप से तथा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) को यह सूचित किया जाता है कि बैंक ने पक्षकारों द्वारा निष्पादित दृष्टिबंधक / ऋण समझौते के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लेखित दृष्टिबंधक मोटर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है / जब्त कर लिया है। उक्त वाहन का विक्रय नीचे उल्लेखित खातों से देय राशि की वसूली हेतु **जैसा है जहाँ है, जैसा है वैसा है तथा जो कुछ भी है के आधार पर** किया जाएगा। उधारकर्ता/ओं / जमानतदार/रों / वाहन / कुल देय राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी की तिथि एवं समय / ईएमडी तथा बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम. सं0	ऋणी/यों / जमानतदारों का नाम एवं पता	वाहन निर्माता और मॉडल आरटीओ पंजीकरण संख्या	कुल बकाया / ई-नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय / बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा / बोली बृद्धि राशि	ईएमडी जमा खाता संख्या आईएफएससी कोड बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा / वाहन / चल संपत्ति निरीक्षण दिनांक और समय
1.	ऋणी: **मृनाल गौरव टिग्गा** पुत्र इरेनियस टिग्गा बाली बागिचा, अरगोड़ा, हरमू, डोरंडा, रांची, झारखण्ड, पिन–834002	JH01EA-3005 JEEP COMPASS LONGITUDE PLUS 2.0D 4x4 AT BSVI BRILIANT BLACK	**रु. 14,47,562.00** (रूपये चौदह लाख सैंतालीस हजार पांच सौ बासठ मात्र) + अप्रायोजित ब्याज **दिनांक 18.09.2026 को** दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक 18.09.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक	रु. 8,55,000.00 रु. 85,500.00 रु. 5,000.00	भौतिक कब्जा दिनांक 17.09.2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक **56330015181219 BARB0BIRSAC बिरसा चौक शाखा**
2.	ऋणी: **अनिमा अमृत टोप्पो** पत्नी इरेनियस टिग्गा बाली बागिचा, अरगोड़ा, हरमू, डोरंडा, रांची, झारखण्ड, पिन–834002	JH01EA-3005 JEEP COMPASS LONGITUDE PLUS 2.0D 4x4 AT BSVI BRILIANT BLACK	**रु. 14,47,562.00** (रूपये चौदह लाख सैंतालीस हजार पांच सौ बासठ मात्र) + अप्रायोजित ब्याज **दिनांक 18.09.2026 को** दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक 18.09.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक	रु. 8,55,000.00 रु. 85,500.00 रु. 5,000.00	भौतिक कब्जा दिनांक 17.09.2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक **56330015181219 BARB0BIRSAC बिरसा चौक शाखा**

नोट : 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त (यदि उपयुक्त) एवं सफल बोली लगाने वाले को केवल एक ही चाबी प्रदान की जाएगी।

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं **https://baanknet.com** पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी **श्री ब्रज किशोर यादव** के मोबाईल संख्या **7542032144** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 27.08.2026, स्थान : रांची | नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा। | ह0/– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, झंडा चौक शाखाः
आदर्श बाजार, मालवीय मार्ग, हजारीबाग, झारखण्ड – 825301
अनुबंध-सी

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ''अनुबंध-IV-ए (अधिनियम 8 (6) के प्रावधान देखें)

सिक्युरिटी इंटेरेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत 8 (6) की धारा के साथ पठित प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूमिकरण और पूर्णगठन एवं सिक्युरिटी इंटेरेस्ट अधिनियम 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों को तथा विशेष रूप से भाग लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित प्रतिभूति के पास गिरवी है उसका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित प्रतिभूति, द्वारा ले लिया गया है, उसे अधोवर्णित खाताओं की वसूली हेतु **''जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है, जो भी वहाँ है के आधार पर''** बेचा जायेगा। ऋणी / यों / बंधककर्त्ता/ओं / जमानतदार/रों / सुरक्षित सम्पत्ति/याँ / बकायों / सुरक्षित मूल्य /ई-नीलामी की तारीख और समय, ईएमडी और बोली बृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / ऋणकर्ताओं / गारंटर/ बंधककर्ताओं का नाम और पता	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	कुल बकाया / ई-नीलामी की तारीख और समय / प्रारंभ समय से अंत समय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी जमा / बोली बृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक / भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख और समय
1.	**मेसर्स माँ गायत्री प्लाई एण्ड हार्डवेयर** मालिक: **श्री सोनु सूमन सुपुत्र श्री लक्ष्मी नारायण** दसरथ निवास, न्यू एरिया, चौथा लाईन, हजारीबाग, झारखण्ड – 825301 जमानतदार: **श्रीमती माया रानी पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण** दसरथ निवास, न्यू एरिया, चौथा लाईन, हजारीबाग, झारखण्ड – 825301 **श्री लक्ष्मी नारायण** दसरथ निवास, न्यू एरिया, चौथा लाईन, हजारीबाग, झारखण्ड – 825301	साम्यिक बंधक के रूप में जमीन एवं भवन जो मौजा – हजारी, थाना संख्या 141, जिला – हजारीबाग, पिन–825301 में स्थित है जिसका खाता संख्या 47/27, हाल खाता संख्या 189, प्लॉट संख्या 21, क्षेत्रफल 1.70 डिसिमल एवं प्लॉट संख्या 22, क्षेत्रफल 1.00 डिसिमल, कुल क्षेत्रफल 2.70 डिसिमल है जिसका सेल डीड संख्या 342/318 दिनांक 15/01/2018 है जो श्रीमती माया रानी, पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से है। **चौहद्दी: उत्तर** – चंदन कुमार एवं कुंदन कुमार का मकान, **दक्षिण** – वैकुंठ नाथ देव का मकान, **पूरब** – अन्य का मकान, **पश्चिम** – 10 फीट पीसीसी सड़क.	**Rs. 15,75,372.11** (रूपये पंद्रह लाख पचहत्तर हजार तीन सौ बहत्तर एवं ग्यारह पैसे मात्र) + ब्याज एवं शुल्क दिनांक 20.12.2025 से मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि **Rs. 14,64,575.24** दिनांक 28.08.2026 तक प्लस ब्याज सहित **दिनांक 14.09.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक**	Rs. 28,80,000.00 Rs. 2,88,000.00 Rs. 28,800.00	प्रतिकात्मक कब्जा 08.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम : 03:00 बजे तक

विक्रय की सभी शर्तें एवं दशाएं के लिए कृपया हमारे वेबसाईट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं **https://baanknet.com** पर जायें / देखें। साथ ही प्रस्तावित बोलीकर्त्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल सं **9725392448** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 25.08.2026
स्थान : हजारीबाग
नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।
ह0/– प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा